राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/e-GRAS/7204-7603 दिनांक 18/07/17

परिपत्र

विषय :– मैनुअल चालानों से संग्रहित राजस्व को ई–मोड पर ऑटोमेटेड किए जाने के संबंध में।

संदर्भः– परिपत्र संख्या 341–940 दिनांक 17.04.2017

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण के बिन्दु संख्या 308 में घोषणा की गई है कि ''वर्तमान में राज्य के राजस्व जमा की Online सुविधा 43 बैंकों के माध्यम से net banking, debit card एवं credit card के जरिये उपलब्ध करवायी जा रही है। इसी क्रम में manual receipts को भी e-mode पर लाया जायेगा, जिससे जमाकर्ताओं द्वारा उनकी approach में आने वाली एजेंसी बैंक की राजस्थान में स्थित किसी भी शाखा में नकद, demand draft अथवा banker cheque से राजस्व जमा करवाया जा सकेगा''।

जिसकी पालना में इस विभाग द्वारा संदर्भित परिपत्र जारी किया गया था, जिसके द्वारा जयपुर शहर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं को पायलट बेस पर 01 मई 2017 से अधिकृत किया गया था। पायलट रन के दौरान बैंक से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मैनुअल चालानों से संग्रहित राजस्व को ई–मोड पर ऑटोमेटेड किए जाने हेतु अधिकृत एजेन्सी बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बडौदा एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) की राज्य में स्थित शाखाओं को दिनांक 01.08.2017 से सिस्टम जनरेटेड मैनुअल चालानों के आधार पर राजस्व संग्रहण हेतु अधिकृत किया जाता है।

मैनुअल चालानों से संग्रहित राजस्व को ई–मोड पर ऑटोमेटेड किए जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत रेमीटर को सिस्टम जनरेटेड मैनुअल चालान के माध्यम से राशि (नकद, चैक, डी.डी.) के रूप में कोष/उपकोष से सम्बद्ध एजेन्सी बैंको की राज्य में स्थित किसी भी शाखा में जमा कराये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। जिसके ई–स्क्रॉल/45-A/E-DMS अधिकृत एजेन्सी बैंक द्वारा अधिकृत ई–फोकल पॉइन्ट ब्रांच द्वारा जयपुर स्थित ई–कोषालय को उपलब्ध करावे जावेंगे। जिसका मासिक लेखा ई–कोषालय द्वारा संकलित कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

P.D. खातों एवं Minus Expenditureसे संबंधित चालान केवल कोषालय/उपकोषालय से सम्बद्ध एजेंसी बैंक में पूर्व प्रक्रिया के अनुसार ही जमा किये जावेंगे। संबंधित ऐजेंसी बैंक द्वारा जमा किये गये चालानों की भौतिक प्रति मय बैंक स्क्रॉल/डी.एम.एस. संबंधित कोषालय/उपकोषालय को उपलब्ध कराये जावेंगे। जिसके आधार पर मासिक लेखा संकलित कर लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा।

मैनुअल चालानों से संग्रहित राजस्व को ई–मोड पर ऑटोमेटेड किए जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र के प्रावधान यथावत लागू होगें।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक: एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/e-GRAS/7204-7603 दिनांक 18/07/17

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीया मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. सी.जी.एम. भारतीय रिजर्व बैंक (डीजीबीए) सेन्ट्रल ऑफिस बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई–400001
6. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान जयपुर/डी.जी.एम/ए.जी.एम. (बैकिंग) भारतीय रिजर्व बैंक राजस्थान, जयपुर
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. संभागीय आयुक्त जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर
9. समस्त जिला कलक्टर्स
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर
11. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
12. निदेशक वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
14. उपशासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर
15. उपमहाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
16. फील्ड महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
17. महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर।
18. उपमहाप्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आनंद भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।
19. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
20. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित
21. श्री आई.डी. वरियानी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
22. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग, सचिवालय जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
23. कोषाधिकारी, समस्त।

संयुक्त शासन सचिव